BA Part II (GEN/SUB) I

Dr. Chiranjeev Kr Thakur
Assistent Professor (G.T)
Department of Sociology
VSJ College Rajnagar

घरेलू हिंसा (Domestic Violence) ⇒ भारतीय समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कन्या विवाह पश्चात अपने पति के यहां निवास करती है और गृहस्थ जीवन में अपने पति बच्चों और उनके परिवार के साथ जीवन यापन करती है। प्राचीन कालमें स्त्री एवं पुरुष में अपने साथ किसी तरह का कोई भेद नहीं था सभी का कार्य विभाजन निश्चित था। जैसे-जैसे समाज का विकास होता गया लैंगिक असमानता का युग प्रारम्भ हो गया। घरेलू हिंसा भी लैंगिक असमानता का एक विशिष्ट उदाहरण है। घरेलू हिंसा से तात्पर्य पुरुष द्वारा अपने स्त्री या साथी के साथ सहवास, अथवा विवाह सम्बंधों के बाद मारपीट, दुर्व्यवहार करना है। घरेलू हिंसा न केवल विपरीत लिंगों के साथ दुर्व्यवहार बल्कि समलैंगिक संबंधों में हो सकती है। परन्तु वास्तवमें घरेलू हिंसा मुख्य रूप से स्त्री के प्रति हिंसा ही है।

घरेलू हिंसा को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है: "किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक भावनात्मक, मौखिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारस्परिक सम्बन्ध है, घरेलू हिंसा है।"

घरेलू हिंसा में पत्नी, सहसम्बन्धी, मुख्य रूप से आती है।

घरेलू हिंसा के कारण: घरेलू हिंसा न केवल भारत की सामाजिक समस्या है बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। विश्व के अनेक विकासित देशों में भी घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं होती आ रही है। घरेलू हिंसा के अनेक कारण है। भारत में घरेलू हिंसा का एक कारण दहेज है। दहेज के न मिलने पर व्यक्ति अपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है। आर्थिक सामाजिक, यौनिक आदि अनेक कारण है घरेलू हिंसा के। आधुनिक समाज ने भी घरेलू हिंसा को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है।

घरेलू हिंसा के प्रकार :- घरेलू हिंसा के अनेक प्रकार है जिसका शिकार महिलाएं होती आ रही है। जो निम्नांकित है —

① शारीरिक हिंसा :- साथी के प्रति ऐसा कोई कार्य या आचरण जिससे कारण - अकारण महिला को शारीरिक क्षति पहुँचाना, शारीरिक हिंसा है। उदाहरण के लिए महिला के साथ मारपीट करना, बीमार पड़ने पर इलाज न करवाना।

② यौन दुर्व्यवहार :- ऐसा आचरण जो महिला का लैंगिक तरीके से अपमान करना यौन दुर्व्यवहार है। जैसे जबरन सम्भोग या वैवाहिक बलात्कार आदि।

③ दहेज के लिए हिंसा :- दहेज के लिए अपने साथी को प्रताड़ित करना भी घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आता है।

④ भावनात्मक हिंसा :- महिला के प्रति ऐसा आचरण जो महिला को मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रूप से क्षति पहुँचाये, भावनात्मक घरेलू हिंसा है।

⑤ मौखिक हिंसा :- → महिला या साथी को अपने मौखिक व्यवहार से क्षति पहुंचाना मौखिक घरेलू हिंसा है।

IV

(6) आर्थिक हिंसा :- महिला या साथी के अर्थ का बिना उसके सहमति से दुरूपयोग करना या अपने सम्पत्ति में उसको कोई अधिकार प्रदान न करना आर्थिक घरेलू हिंसा है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 :- भारत में घरेलू हिंसा को रोकने एवं महिला के संरक्षण एवं अधिकार दिलाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया गया। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान है —

① पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है।

② पीड़ित संरक्षण अधिकारी से सम्पर्क कर सकती है।

③ पीड़ित निशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है।

④ पीड़ित भारतीय दंड संहिता के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है. इसके तहत प्रतिवादी को तीन साल तक की जेल हो सकती है। इसके तहत पीड़ित को गंभीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता है।

⑤ पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है जैसे संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थाई संरक्षण का आदेश निवास आदेश।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 एक गैर अपराधिक कानून है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं है बल्कि महिला को त्वरित राहत दिलाना है। इसका उद्देश्य पीड़ित महिला की समस्याएं जैसे आर्थिक, निवास की समस्या, सुरक्षा की समस्या इत्यादि का समाधान करना है।

घरेलू हिंसा का प्रभाव एवं समाधान : भारत में घरेलू हिंसा की दर लगातार बढ़ती जा रही है। घरेलू हिंसा परिवार, विवाह जैसी संस्था को प्रभावित किया है। घरेलू हिंसा ने स्त्री एवं पुरुष के प्रति एक प्रकार की घृणा का संचालन किया है। यह हिंसा समाज को तोड़ने का प्रयास करती है। पुरुष के प्रति महिला का अविश्वास का बढ़ना है। इसका समाधान सम्भव है बचपन से ही लड़का एवं लड़कियों को एक दूसरे के प्रति सम्मान सिखाया जाए। समाज को घरेलू हिंसा पर चुप रहने के स्थान पर उसकी कठोर निंदा करें तभी घरेलू हिंसा से छुटकारा पाया जा सकता है।